कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनायें, जयपुर ।

(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक: भूअअ/नवि/91/ दिनांक: 17/6/91

मुकदमा नं0

1. 368/88
2. 580/88
3. 629/88

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास की भूमि अवाप्ति बाबत (पृथ्वी राज नगर योजना)

-:अ वा र्ड-:

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय अधिनियम [illegible] 1894)1984 को केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1 (की धारा 4(1) के तहत क्रमांक प.06 (15)नविआ/11/87 दिनांक 6.1.88 को तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 7 जुलाई, 1988 को कराया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिनियम धारा 5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प06(15)नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 3 जुलाई, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर में अवाप्तशुदा भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजनाएँ जयपुर

क्रमशः----2

300

क्र०सं०	मुकदमा सं०	खसरा सं०	रकबा बी० बि०	नाम खातेदार
1	2	3	4	5
1-	568/88	30	21 - 13	बोधराज, धुमाराम, काना
		166	2 - 11	राम, कुमाराम पिता
		167	00 - 19	गंगा हि. 4/5 बराबर
		168	1 - 10	जगदीश, बाबूलाल, रामजी
		169	0 - 15	लाल पिता छोटेलाल
		177	4 - 00	हि. 1/5 जाति कुमावत
		179	11 - 11	सा० देह
2.	580/88	34/2	1 - 05	भूरा पुत्र दूल्हा, गोपाल मुन्ना, छोटू पिता बिरधा, बोधमल पिता मुन्ना जाति माली सा० स्वेजफार्म
3.	625/88	178/213	4 - 01	श्रीमती मोहनी देवी
		191/239	1 - 17	पु. ओमप्रकाश जाति जाट
		182/217	4 - 09	सा० मुकाम जिला झुन्झुनू
		182/246	2 - 05	
		182/249	4 - 00	

मुकदमा नम्बर: 568/88 खसरा नम्बर: 30 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा, 166 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 167 रकबा 19 बिस्वा, 168 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 169 रकबा 15 बिस्वा 177 रकबा 4 बीघा, 179 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा;

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर: 30 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा, 166 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 167 रकबा 19 बिस्वा, 168 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 169 रकबा 15 बिस्वा, 177 रकबा 4 बिस्वा, 179 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा श्री बोधराज, धुमाराम, काना राम, कुमाराम पिता गंगा हि. 4/5 बराबर, जगदीश, बाबू लाल, रामजी लाल पिता छोटे लाल हि. 1/5 जाति कुमावत सा० देह की खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदार/हितधारान को जारी किए गए जो तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदारान के परिवार के व्यस्क सदस्य को तामील कराये गये। दिनांक 18.12.90 को खातेदार दूल्हा का पुत्र राम सहाय काना का पुत्र रूप नारायण, कुमा का पुत्र गोपाराम उपस्थित हुए लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। अन्य खातेदार हितधारी उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 25.2.91 को खातेदारान/हितधारान को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किए गए। दिनांक 25.3.91 को

प्रभावित सम्पत्ति विवरण

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

शांति गृह निर्माण सहकारी समिति के प्रतिनिधि श्री कन्हैया लाल उपस्थित हुए । लेकिन क्लेम पेश नहीं किया । श्री मोहन सिंह सोलंकी, अभिभावक, शांति गृह निर्माण सहकारी समिति की तरफ से उपस्थित हुए लेकिन क्लेम पेश नहीं किया ।

दिनांक 9/4/91 को गिरधर गोपाल शर्मा, अभिभावक भूखण्डधारियों की ओर से उपस्थित हुए एवं शांति गृह निर्माण सहकारी समिति की तरफ से श्री मोहन सिंह सोलंकी उपस्थित हुए । भूखण्डधारी [illegible] व कन्हैयालाल उपस्थित हुए लेकिन उन किसी ने भी क्लेम पेश नहीं किया । दिनांक 4.5.91 को खातेदार कानाराम के पुत्र लक्ष्मीनारायण, दुर्गा के पुत्र ओमप्रकाश व कुशलराम के पुत्र गोमाराम उपस्थित हुए लेकिन क्लेम पेश नहीं किया । भूखण्डधारियों की ओर से श्री गिरधर गोपाल शर्मा उपस्थित हुए । श्री गिरधर गोपाल शर्मा ने भूखण्डधारियों की तरफ से जो प्रार्थना पत्र पेश किए गए थे वे उनके अभाव में प्राधिकृत अभिभाषक श्री के.सी. मिश्रा नहीं रहे, प्रार्थना पत्र पर ध्यान देना उचित नहीं समझा । अतएव भूखण्डधारियों के प्रार्थना पत्र खारिज किए गए । शांति गृ०नि०स०समिति की तरफ से श्री मोहनसिंह सोलंकी, अभिभावक के मुंशी उपस्थित लेकिन क्लेम पेश नहीं किया । भूखण्डधारी श्री कन्हैया लाल व दयाराम उपस्थित नहीं हुए जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । दिनांक 28/5/91 को खातेदार [illegible] लक्ष्मीनारायण उपस्थित हुआ । लेकिन क्लेम पेश नहीं किया । दिनांक 11/6/91 को श्री गिरधर गोपाल शर्मा, अभिभावक ने भूखण्डधारी श्री अरुण कुमार माथुर व भारतेन्दु कुमार माथुर की तरफ से क्लेम पेश किया । शांति गृ०नि०स०स० की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं खातेदार ल० नारायण व [illegible] उपस्थित हुए लेकिन क्लेम पेश नहीं किया । भूखण्डधारी गुमान सिंह ने क्लेम पेश किया ।

खसरा नम्बर 22,23,24,26 एवं 27 पर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के बैंच के आदेश पर स्थगन आदेश होने के कारण उक्त खसरा नम्बरान का अवार्ड पारित नहीं किया जा रहा है ।

भूखण्डधारी श्री अरुण कुमार माथुर ने जो क्लेम पेश किया है उसमें अंकित किया है कि प्रार्थी का प्लाट नम्बर बी-11 राशि मुब्लिग 8,235/- रु. समिति को अदा कर दिये है । वर्ष 1987 में उक्त प्लाट प्रार्थी ने 50/- रु. प्रति वर्गगज की दर से क्रय किया जिसकी आज वर्तमान बाजार मूल्य 400 रुपये के हिसाब से है इस प्रकार प्रार्थी को 1,35,000/- रु. कीमत अनुमानित बाजार मूल्य उक्त आवासीय भूखण्ड का आता है । प्रार्थी ने भूखण्ड के चारदीवारी की कीमत 30,000/- रु. की मांग की है एवं इस पर 2/- रु. सैकड़ा की दर से ब्याज का मय 36,000/- रु. की मांग की है । प्रार्थी ने समिति को 8235/- रु० जो अदा किया है उस पर

JDA copy

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

भू अवाप्ति अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

5 वर्ष का ब्याज दो रुपया सैकड़ा के हिसाब से 10,000/-रुपया की मांग की है । इस प्रकार प्रार्थी की क्षतिपूर्ति राशि जिसको प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है:-

5·5·ए प्लाट की कीमत रुपया 1,33,600/-

5·5·बी बाउण्ड्रीवाल की लागत रुपया 30,000/-

5·5·सी बाउण्ड्रीवाल की लागत पर लगी हुई रकम का ब्याज रुपया 36,000/-

5·5·डी भूखण्ड की कीमत पर 2 रुपये सैकड़ा ब्याज 10,000/-

\- - - - - - - - - -

कुल क्षतिपूर्ति:-2,09,000/-

दो लाख नौ हजार रुपये

प्रार्थी के सम्पूर्ण क्लेम राशि के अतिरिक्त 10% मुआवजा अनिवार्य भूखण्ड के लिये उसके अनुपात के बराबर दिया जावे। जो कि 21,000/-रुपया बनता है। इस प्रकार दो लाख नौ हजार रुपया कुल क्षतिपूर्ति 21,000/-रुपये मिलाकर 2,30,000/- रुपये प्रार्थी को क्षतिपूर्ति क्लेम के दिलाया जावे।

उक्त सम्पूर्ण देय राशि पर 18% वार्षिक ब्याज उसी दिन से दिलाया जावे जिस दिन धारा 4 व 5 की विज्ञप्ति अवाप्ति हेतु प्रकाशित की गई थी। इस प्रकार कुल मुआवजा 2,30,000/- रु की क्लेम में मांग की है।

इसी प्रकार भूखण्ड धारी भारतेन्दु कुमार माथुर ने भी अपने भूखण्ड का क्लेम पेश किया है उसमें प्लाट संख्या ए-10 नेहरू नगर गृह निर्माण सहकारी से [illegible] 50/-रुपये प्रति वर्गगज की दर से खरीदना बताया है जिसकी कीमत समिति को 7,149/-रुपये अदा किया जाना अंकित है। प्रार्थी ने प्लाट की कीमत 400/-रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब 1,15,600/-रुपये की मांग की है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड पर बाउण्ड्रीवाल बनाई है जिसकी अनुमानित लागत 25,000/- रुपये अंकित की है। बाउण्ड्रीवाल की रकम 25,000/- पर दो रुपया सैकड़ा की दर से 5 वर्ष का ब्याज 30,000/-रुपये अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा समिति को अदा किये गये 7,149/- पर दो रुपया सैकड़ा के हिसाब से 5 वर्ष का ब्याज अनुमानित 9,000/-रुपये की मांग की है। इस प्रकार प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि जिसका प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है:- 5·5 ए प्लाट की कीमत रुपया 1,15,600/-, 5·5 बी बाउण्ड्रीवाल की लागत रुपया 25,000/-रुपये, 5·5·सी बाउण्ड्रीवाल की लागत पर लगी हुई रकम का 2 रुपया सैकड़ा ब्याज 30,000/-, 5·5·डी भूखण्ड की कीमत

....

दर 2 रुपये सैकड़ा ब्याज 9,000/- इस प्रकार कुल क्षतिपूर्ति 1,79,600/- रुपये की क्लेम में प्रार्थी ने मांग की है। इसके अतिरिक्त 10% मुआवजा अन्य भूखण्ड के लिये उसके अनुपात के बराबर दिया जावे। जो कि 18,000/- रुपये बनता है। इस प्रकार कुल 1,97,600/- प्रार्थी को क्षतिपूर्ति क्लेम दिलाया जावे। उक्त सम्पूर्ण देय राशि पर वार्षिक ब्याज उसी दिन से दिलाया जावे जिस दिन धारा 4 व 5 की विज्ञप्ति प्रकाशित हेतु प्रकाशित की गई थी।

भूखण्डधारी अरुण कुमार माथुर एवं भारतेन्दु कुमार माथुर ने भूखण्ड सहकार अर्बन गृह निर्माण सहकारी समिति से क्रय करना बताया है। चूंकि समिति ने खातेदार से भूमि कोई रजिस्टर्ड पत्र द्वारा खरीदना नहीं बताया है। अतः समिति का मालिकाना हक साबित नहीं होता है। समिति किसी दूसरे व्यक्ति को भूमि बेचान नहीं कर सकती अतः भूखण्डधारियों द्वारा क्लेम की राशि मांगने का कोई हक नहीं बनता है। इस प्रकार का माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने फैसला तोप धामाद्या [illegible] गृह निर्माण सहकारी समिति के मामले में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 2185/88, 2770/88 एवं 2791/88 दिनांक 17.4.89 को दिया है। अतः भूखण्डधारियों द्वारा प्रस्तुत क्लेम मान्य नहीं है एवं जो राशि की मांग की है वह अस्वीकार है।

दिनांक 11.6.91 को श्री भूखण्डधारी गुमानसिंह पुत्र श्री मानसिंह ने क्लेम पेश किया है जिसमें गुमानसिंह ने खातेदारान के खसरा नम्बर 177 के जगदीश, बाबूलाल, रामदीनाल पुत्रान श्री छोटेलाल कुमावत से एक भूखण्ड 300 वर्ग गज का खरीदना अंकित किया है। क्लेम के साथ इकरारनामे की फोटो कोपी पेश की है।

श्री गुमानसिंह ने क्लेम की राशि निम्न प्रकार से मांग की है:-

1. जमीन 300 वर्ग गज	1,50,000/-
2. मकानात पुख्ता	2,50,000/-
3. बिजली का सम्बन्ध	10,000/-
4. कुऐ से पानी पाइप कनेक्शन आदि	5,000/-

पेड़-पौधों की कीमत 1,00,000/- एवं चूंकि प्रार्थी को अवाप्ति की सूरत में अन्यत्र जाना पड़ेगा। जिससे क्षति के 75,000/- इस प्रकार प्रार्थी ने क्लेम में 5,90,000/- रुपये की मांग की है।

उक्त प्रकरण में भूखण्डधारी जो क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिये जो इकरारनामे की फोटो कोपी पेश की उसकी कोई मान्यता नहीं है। एवं भूखण्डधारी ने रजिस्टर्ड बेचाननामा से सम्बन्धित दस्तावेज पेश नहीं किये है। जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.बी.मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का विरोध करते हुये दलील दी है कि बिना किसी ठोस दस्तावेजी सबूत के इस प्रकार का क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं है। हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक के कथन से सहमत है। इन्होंने ने क्लेम में जो राशि की मांग की है वह अस्वीकार है।

मुकदमा नम्बर- 580/88 खसरा नम्बर- 34/2

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 34/2 रकबा 0 बीघा 05 बिस्वा भूमि भूरा पुत्र हनुमा, गोपाल, मुन्ना, छोटू पि. बिरदा, चोथमल पि. मु. मन्ना जाति माली सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितधारान को दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये, जो तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराये गये है। दिनांक 18.12.90 को खातेदार भूरा, मुन्ना का लड़का छोगा एवं चोथमल उपस्थित हुये। इनका कहना है कि मुन्ना पुत्र बिरदा फौत हो गया है इनका लड़का चोथमल है। उपरोक्त खातेदारों ने क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 11.4.91 को भूरा, चोथमल व छोगालाल उपस्थित हुये। लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। खातेदार भूरा पुत्र हनुमा की तरफ से दिनांक 23.4.91 को श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया अन्य खातेदारान उपस्थित नहीं हुये। जिन्हें दिनांक 23.4.91 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 5.5.91 को दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाईम्स, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गये। दिनांक 7.5.91 को खातेदारान भूरा पुत्र हनुमा, छोटू, चोथमल, मुन्ना, छीतर व गोपाल की तरफ से श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये। लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 11.6.91 को श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने उपस्थित होकर खातेदारान/हितधारान/ व छोटू पुत्र बिरदा, चोथमल पुत्र मोहना, मुन्ना पुत्र बिरदा, भूरा पुत्र हनुमा, सुआ पुत्र गोपाल, छीतर पुत्र गोपाल, गोपाल पुत्र बिरधा की तरफ से क्लेम पेश किया।

प्रस्तुत क्लेम में खातेदारान/हितधारान ने ख.नं. 34/2, 103, 106, 107, 112, 121, 126 एवं 104 की भूमि का क्लेम पेश किया है खसरा नम्बर 127 का क्लेम पेश नहीं किया जो कि धारा 6 के गजट में इन्हीं की खातेदारी में दर्ज है।

प्रस्तुत क्लेम में खातेदारान/हितधारान ने भूमि का मूल्य प्रति बीघा 4,50,000/- दर्शाया है। बाजार दर के संबंध में कुछ आधार भी क्लेम में अंकित किये है लेकिन बाजार दर के सबूत में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये। मकानों की क्षतिपूर्ति राशि 42 लाख रुपये की मांग की है। इसी प्रकार भूमि पर कुंए, उनमें बोरिंग बिजली के पम्प, स्थायी रूप से लगाई गई पाइप लाइनें, मवेशियों के संधारण हेतु बनाये

......7

True copy

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

विकास ... जयपुर

गये लेकिन वांछित का कुल 116800/-रु0 की मांग की है। वेतनभोगी की क्षति-पूर्ति राशि 27600/-रु की मांग की है।

प्रार्थी की संपूर्ण भूमि अवाप्त की जा रही है जिसमें वह स्थान भी शामिल है जहाँ प्रार्थी निवास करता है। और उसका पक्का मकान बना हुआ है। यदि उक्त सब मकानों को अवाप्त किया जाता है तो प्रार्थी को अपने परिवार सहित बसने के लिए 500 वर्गगज के 14 प्लाट दिये जाय। क्योंकि प्रार्थी के संयुक्त परिवार में अन्य छोटे संयुक्त परिवार भी हैं।

डेयरी व्यवसाय हेतु 1500 वर्ग गज का एक 3 बिस्वा भूखण्ड आवंटित की जावे। प्रार्थी को इस स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाकर कृषि भूमि क्रय करनी पड़ेगी। वहाँ कृषि योग्य भूमि खरीदने उसका पंजीकरण कराने व अन्य कार्यों में भारी अनुताप का सामना करना पड़ेगा। इसलिये उक्त संपूर्ण क्लेम राशि के अतिरिक्त 20 प्रतिशत मुआवजा उक्त अनुताप के लिए अलग से दिया जावे। उक्त क्लेम राशि पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति प्रतिकर के लिए अलग से दिलवाया जावे। 10 प्रतिशत रिमेंटिंग चार्ज अतिरिक्त रूप से अलग से दिलवाया जावे। 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज उक्त संपूर्ण राशि पर उसी दिन से दिलवाया जावे जिस दिन धारा 4 व 5 की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी।

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

इस प्रकार प्रार्थी की कुल राशि 01,83,040/-रु0 की क्लेम में मांग की है।

दावेदारान् हुक्मा पुत्र मोहन एवं छीतर पुत्र मोहन ने भी उक्त क्लेम में राशि की मांग की है लेकिन उक्त दोनों दावेदारान ने अपने मालिकाना हक में कोई लिखित दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं। अतः हम इन्हें हितधारी नहीं मान सकते हैं लेकिन क्लेम व मुआवजे की राशि का भुगतान इन्हें नियमानुसार लिखित रूप से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण जमाबंदी आदि दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

उक्त मामले में दावेदारान/हितधारान ने जो क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिए न तो कोई दस्तावेजात पेश किए हैं और न ही कोई रजिस्टर्ड वेल्युअर से प्रमाणित सम्पत्ति की कीमतें पेश किये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का विरोध करते हुए दलील दी है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार के क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम प्राधिकरण अभिभाषक के कथन से सहमत हैं। इन्होंने क्लेम में जो अधिक राशि की मांग की है वह अस्वीकार है। प्राधिकरण के अभिभाषक का यह भी कथन है कि दावेदारान/दावेदारानों ने जो भूखण्डों की भी मांग की है उसे जो दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि इससे प्रस्तावित नगर योजना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा इस कथन से हम सहमत हैं।

308 copy

मुकदमा नम्बर - 625/88 खसरा नम्बर - 178/213, 191/239, 182/217, 182/245 एवं 182/246

- -

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 178/213 रकबा 04बीघा 01बिस्वा ख०नं० 191/239 रकबा 01बीघा 17बिस्वा, 182/217 रकबा 04बीघा 09बिस्वा, 182/245 रकबा 4बीघा एवं ख०नं० 182/246 रकबा 02बीघा 08बिस्वा श्रीमती मोहनी देवी पुत्री मोमचन्द जाति जाट सा० नन्दपुरा(?) जिला जयपुर की खातेदारी में दर्ज है। के पश्चात् भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितधारान को दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये। जो तामील कुनिन्दा की तामील रिपोर्ट के अनुसार भोम सिंह को नोटिस तामील कराये गये। एवं समिति शांति गृह निर्माण सहकारी समिति का नोटिस मौके पर समिति के मंत्री बी.के. अग्रवाल के न मिलने पर समिति के मकान पर चस्पा किया गया। दिनांक 18.2.91 को दावेदार श्री भोम सिंह उपस्थित लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। मुख्त्यारी श्रीमती चन्द्रा की तरफ से श्री लक्ष्मण सिंह जो कि इनके पति है उपस्थित हुये। मुख्त्यारी श्रीमती तारा की तरफ से भी श्री लक्ष्मण सिंह ही उपस्थित हुये। दिनांक 21.3.91 को भी दावेदार श्री भोम सिंह उपस्थित हुये। लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 3.4.91 को धारा 9 एवं 10 का नोटिस नवभारत टाईम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गये। दिनांक 15.4.91 को दावेदार श्री भोमसिंह उपस्थित हुये। लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। श्री अमृत कुरोलिया अभिभाषक अशोक विहार योजना समिति शांति गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों की तरफ से उपस्थित हुये। अन्य दावेदार उपस्थित नहीं जिनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 22.4.91 को भोमसिंह, मोहनी देवी अनिलकुमार व अशोक कुमार की तरफ से श्री अमृतकुरोलिया अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 10.5.91 को श्रीमती मोहनी देवी की तरफ से श्री शिवसिंह(?) अभिभाषक उपस्थित हुये भोम सिंह उपस्थित नहीं हुये इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 25.5.91, 31.5.91 को मुख्त्यारी एवं श्री भोमसिंह की तरफ से श्री अमृत कुरोलिया अभिभाषक उपस्थित हुये। लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 11.6.91 को मुख्त्यारियों एवं भोम सिंह की तरफ से श्री अमृत कुरोलिया अभिभाषक उपस्थित हुये श्री कुरोलिया ने मुख्त्यारियों की तरफ से क्लेम पेश किये क्लेम की एक प्रति जयपुर विकास प्राधिकरण अभिभाषक को दी गई। मुख्त्यार श्रीमती तारादेवी व श्रीमती इन्दिरा देवी ने क्लेम पेश नहीं किया इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

11-6-91

...धिकारी
...योजनाएं
जयपुर

SDO copy

- 24 -

307

दिनांक 11.6.91 को श्री अमृत सुरोलिया अभिभाषक ने उपस्थित होकर जो भूखण्डधारियों की तरफ से क्लेम पेश किये गये निम्नानुसार है:-

शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की अशोक विहार योजना

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्डधारी का नाम	चारदीवारी बनवाने पर खर्चा	कुल मूल्य (क्लेमराशि)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	6	अनिल कुमार पुत्र ओमसिंह अशोक विहार, ग्राम-माल्यावाला, न्यूसांगानेर रोड, जयपुर ।	20,000/-	13,75,000/-
2.	6	श्रीमती द्रोपदी देवी सुरोलिया पत्नि श्याम सुन्दर सुरोलिया	20,000/-	17,96,700/-
3.	59	जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल	-	12,5000/-
4.	48-बी	श्रीमती मानू देवी	20,000/-	29,12,500/-
5.	101	श्रीपाल सिंह पुत्र हरदयाल	-	12,5000/-
6.	102	श्रीमती सुमित्रा देवी	-	12,5000/-
7.	~~सतवीर पुनिया~~			
	99	सतवीर पुनिया-हरदयाल	-	12,5000/-
8.	100	श्रीपाल सिंह-हरदयाल	-	12,5000/-
9.	97	हरदयाल पुत्र रामसिंह	-	12,5000/-
10.	98	श्रीमती दाखली पत्नि श्योलाल	-	12,5000/-
11.	103	सुमित कुमार पुत्र बाबूलाल	-	12,5000/-
12.	110	जितेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह	-	12,5000/-
13.	104	अतुल कुमार पुत्र बाबूलाल	-	12,5000/-
14.	96	लिछमन पुत्र किशन	-	12,5000/-
15.	105	मुकेश कुमार पुत्र मातादीन	-	12,5000/-
16.	106	राजकुमार पुत्र मातादीन	-	12,5000/-
17.	103	मातादीन गुप्ता पुत्र सीताराम	-	125000/-
18.	109	लक्ष्मण रामसिंह पुत्र हरीसिंह	-	12,5000/-
19.	~~रमेशनाथ पुत्र शिवनारायण~~			
19.	95	रमेशनाथ पुत्र शिवनारायण	-	12,5000/-
20.	93	सुभाष कुमार-रुजोड़मल	-	12,5000/-
21	94	सरदार राम पुत्र कृष्णाराम	-	12,5000/-
22.	91	श्री रामस्वरूप पुत्र रुजोड़मल	-	12,5000/-
23.	90	सुरेश कुमार सर्राफ पुत्र रुजोड़	-	12,5000/-
24.	108	रामसिंह पुत्र हरिसिंह	-	12,5000/-
25.	92	विष्णु कुमार पुत्र रुजोड़	-	12,5000/-

....10.

1.	2.	3.	4.	5.
26.	30	श्रीमती नीलम शर्मा पत्नि रूप किशोर	-	5,75,000/-
27.	29	रामेश्वर दास पुत्र नन्दकिशोर	-	5,75,000/-
28.	31	कालू मीणा पुत्र मोहन मीणा	-	6,12,500/-
29.	21	अशोक कुमार गुप्ता पुत्र पूरणमल	-	6,20,000/-
30.	22	श्रीमती शशि गुप्ता पत्नि गुलाबचंद	12,000/-	6,50,000/-
31.	3	अशोक कुमार पुत्र भीमसिंह	20,000/-	13,45,000/-
32.				पक्के मकान की 8लाख रु0
32.	1	श्रीमती संगीता पुत्री सुखकरण	20,000/-	12,45,000/-
33				मकानों की कीमत 8 लाख
33.	8	सिद्धार्थ पुत्र अशोक कुमार	20,000/-	12,68,500/-
34.	5-बी	गिरिराज सिंह पुत्र रामदेव सिंह	20,000/-	17,20,000/-
35.	6-बी	श्रीमती अनुपमा पुत्री रामदेव सिंह	20,000/-	20,57,500/-
				धर्मकांटा व पक्का मकान 6 लाख रुपये
36.	46	कुमारी इन्द्रा पुत्री स्व. श्री गोरधन सिंह	12,000/-	पक्के मकान व पेड़-पौधों की कीमत 2,19,656/- जमीन का मूल्य 9,50,000/-
37.	23	श्रीमती कृष्णा पत्नि रणवीर चंद	12,000/-	6,82,500/-
38.	45	श्रीमती चान्दकी पत्नि स्व. श्री गोरधन सिंह	12,000/-	7,31,656
39.	20	भागीरथराम पुत्र नारंगराम	-	5,52,500/-
40.	27	जगमालसिंह पि. हरदेवाराम	-	5,32,500/-
41.	26	श्रीमती लक्ष्मीदेवी लालवानी पत्नि परसराम	-	5,20,000/-
42.	24	पूरणमल गुप्ता पु. रामनाथ		8,90,000/-
43.	7	श्रीमती गुलाबदेवी पत्नि हजारीमल	20,000/-	15,10,000/-
44.	8	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि सुखकरण	20,000/-	15,35,000/-
45.	9बी	श्रीमती बिन्दु धीया पत्नि गोपाल धीया	12,000/-	6,65,000/-
46.	57	श्रीमती रतनी देवी पत्नि श्री चिरंजीलाल	-	125000/-

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

प्रशासनिक अधिकारी विशिष्ट योजनाएं जयपुर

SDO copy

....11.

1	2	3	4	5
47.	49	चन्द्रप्रकाशगुप्ता पु. चतुर्भुज	-	6,65,000/-
48.	50	श्रीमती कमला देवी पत्नि पुरणमल	-	6,65,000/-
49.	25	विवेक कुमार पु. ब्रह्मानन्द	-	7,55,025/-
50.	56	श्रीराजन चौधरी, पु. रामदेवी	-	6,65,000/-
51.	32	किशनलाल पु. भगवानदास	-	10 ,20,000/-
52.	9	मोटनलाल छाबा पु. किशनलाल	12,000/-	9,20,000/-
53.	11	श्रीमती गीतादेवी गोयल पत्नि राधेश्याम	-	8,70,000/-
54.	47	कुमारी अनामिका पुत्री रघुवीरदयाल	-	6,65,000/-
55	48	कु. अनुपमा पुत्री रघुवरदयाल	-	6,65,000/-
56.	2	श्रीमती मोहनी देवी पुत्री श्री गोकलमल	20,000/-	1,250,5000/-
57.	5	श्रीमती सरला देवी पुत्री श्यामसुन्दर	20,000/-	12,87,500/-
58.	10	मुकेश कुमार पुत्र कपूरचंद	12,000/-	7,57,500/-
59.	58	श्रीमती इन्दु लोहिया पत्नि अशोक कुमार लोहिया	-	1,25,000/-
60.	43	श्रीमती सावित्री पत्नि रामनारायण	-	9,15,000/-
61.	42	हीरालाल पु. बाबूलाल	-	9,15,000/-
62	44	श्रीमती मनोरमादेवी पुत्री राधेश्याम शर्मा	-	5,00000/-
63	12	कुमारी भावना पुत्री राधेश्याम	-	8,80,000/-
64.	13	नारायण दास पुत्र मदनगोपाल	-	8,40,000/-
65.	10बी	राजेशकुमार जैन पु. कपूरचंद	-	6,65,000/-
65.	11बी	कुमारी मालती पुत्री तोलाराम	12,000/-	8,40,000/-
66.	15	श्रीमती राधादेवी पत्नि हरदेवराम	-	8,32,500/-
67.	18	ओम प्रकाश अग्रवाल पु. श्री देवी नारायण	-	8,40,000/-
68	70	सरदार सिंह पु. ओंकार सिंह	~~1,25,000~~/	1,25,000/-
69	72	सुरेशकुमार पु. सरदारसिंह	-	1,25,000/-
70.	71	प्रदीप कुमार पु. सरदारसिंह	-	1,25,000/-
71.	16	श्रीमती सुशीला चौधरी पत्नि दयाल सिंह	12,000/-	8,32,500/-
72.	7	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पु. रामप्रसाद शर्मा	-	1,25,000/-
73.	66	श्री कुशलाराम पु. गणपतराम	-	1,25,000/-

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

...अधिकारी ...विकास योजनाएं जयपुर

500 copy

....12.

1.	2.	3.	4.	5.
74.	67	श्री जमानाराम पु. कुसलाराम	-	1,25,000/-
75.	68	श्री सुरजाराम पु. कुसलाराम	-	1,25,000/-
76.	65	श्रीमती स्वर्णलता पूनिमा पत्नि ओमप्रकाश	-	9,15,000/-
77.	74	अशोक कुमार पु. सरदारसिंह	-	1,25,000/-
78.	63	कैलाश दान पु. शिवदत्त	-	1,25,000/-
79.	64	श्रीमती सरिता चौधरी पत्नि रामेश्वरसिंह	-	1,25,000/-
80.	69	श्रीमती सोनी देवी पत्नि कुसलाराम	-	1,25,000/-
81.	38	श्रीमती चन्द्रादेवी पु. लक्ष्मीकान्त शर्मा	-	5,00000/-
82.	399	गुलाबचंद गुप्ता पु. मांगीलाल	-	10,07500/-
83.	61	जोरावर सिंह पु. नाथुराम	-	1,25,000/-
84.	62	बसन्ता सिंह पु. पुतसिंह	-	1,25,000/-
85.	34	रमेश कुमार शर्मा पु. दामोदर	-	1277500/-
86.	33	श्रीमती फुलादेवी पत्नि/कजोरमल	-	11,70,000/-
87.	36	पंकजसिंह पु. होशियारसिंह	-	9,15,000/-
88.	37	कुमारी मीनल पुत्री जयसिंह	-	9,15,000/-
89.	84	श्रीमती सुमित्रा पत्नि सुभकरण	-	1,25,000/-
90.	85	श्री मोहनदास पु. चमनमल	-	1,25,000/-
91.	83	रामदेव सिंह पु. लालाराम	-	1,25,000/-
92.	82	प्रवीण कुमार पु. सुभकरण	-	1,25,000/-
93.	81	श्री सुभकरण पु. हरलाल सिंह	-	1,25,000/-
94.	79	मोहन लाल पु. नारायण	-	1,25,000/-
95.	80	मोहनलाल धावानी पु. नारायण	-	1,25,000/-
96.	78	नरेन्द्र पु. शिवरामसिंह	-	1,25,000/-
97.	77	सुरेन्द्र कुमार पु. ल्होरसिंह	-	1,25,000/-
98	76	वरीसिंह पु. लुम्बाराम	-	1,25,000/-
99.	75	शिवरामसिंह पु. गंगाराम	-	1,25,000/-
100.	55	श्रीरमनबाबू पु. सुभकरण	-	6,65,000/-
101.	19	रामगोपाल पु. मांगीलाल शर्मा	-	8,32,500/-
102.	88	श्रीमती सरजी देवी पु. माडूराम	-	1,25,000/-
103.	17	रुकमणी देवी पत्नि धीयाराम।	+2,000/-	8,20,500/-

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

SDA copy

.....13.

1.	2.	3.	4.	5.
104.	87	श्रीमती सुतोष कुमारी पुत्री शिवराजसिंह	-	1,25,000/-
105.	88	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नि ओमप्रकाश	-	1,25,000/-
106.	89	कजोड़मल सर्राफ पु. मोतीलाल	-	1,25,000/-
107.	18	बी.एन.नागला रा. विश्वविद्यालय, जयपुर	12,000/-	8,32,500/-
108.	40	श्रीमती संतोष पत्नि रामेश्वर	-	12,75,000/-
109.	41	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि लक्ष्मीलाल	-	5,00000/-
110.	51	श्रीमती सुरेश कुमारी पत्नि जगदीशलाल	-	6,65,000/-
111.	20	श्रीमती अनामिका पुत्री रघोदानसिंह	12,000/-	807,500/-
112.	52	श्रीमती रामा मूर्ति पत्नि लाखनराम	-	6,65,000/-
113.	53	श्रीमती माया देवी पत्नि रामनिवास	-	6,65,000/-
114.	54	श्रीरामकिशन पु. कल्याण	-	6,65,000/-

उक्त क्लेम की राशियों के अलावा उक्त सभी भूखण्डधारियों ने बेदखली का हर्जा खर्चा अलग से रुपये 25,000/- रुपये की मांग की है। क्लेम में बाजार भाव लगभग 2500/- रु. प्रति वर्ग गज से जमीन का क्लेम की मांग की है लेकिन बाजार दर के बारे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय डी.बी. सिविल रिट नं. 8185/88, 2770/88, 2791/88 में निर्णय दिनांक 17.4.89 में निर्णय दिनांक 17.4.89 में यह निर्धारित किया है कि विक्रय करने के अनुबन्ध मात्र से समिति अथवा उसके आवंटियों को विवादित भूमियों में कोई अधिकार पैदा नहीं होता। पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट पिटिशन नं. 2218/89 निर्णय दिनांक 9.10.90 में उपरोक्त निर्णय को विनिश्चित किया है। पहले के निर्णय में तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति पिटिशनर थी। चूंकि प्रति उत्तरदातार गृह निर्माण सहकारी समिति ने अपने नाम नियमानुसार अन्तरित किये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में समिति को उस भूमि में कोई अधिकार पैदा नहीं होता है और उसे हितधारी किया नहीं माना जा सकता समिति के आवंटियों को हितधारी व्यक्ति मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार समिति अथवा भूखण्डधारी हितधारी व्यक्ति नहीं है।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.डी.मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का

....14.

312

विरोध करते हुये दलील दी है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार के क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम प्राधिकरण के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं । इन्होंने क्लेम में जो राशि की मांग की है वह अस्वीकार है । हम

उक्त प्रकरणों में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत सार्वजनिक नोटिस दिनांक 27.4.91 को जारी किये गये जो तामील कुनिन्दा द्वारा संबंधित तहसील, पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत एवं सरपंच को दिये गये व चस्पा कराये गये ।

<u>मुआवजा निर्धारण:-</u>

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प6(15)नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारण के करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजे निर्धारण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जावे । इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

True copy

इस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार/हितधारी को बुलाकर नेगोसियेशन नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है। पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7.7.88 को हुआ था इसलिये विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

उपरोक्त सभी मामलों में खसरा नम्बरों की भूमि के मुआवजे की मांग जो खातेदारान द्वारा की गई है, के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक

श्री के॰पी॰मिश्रा का कथन है कि क्लेम्स में जो मुआवजे की मांग की है वह बहुत अधिक है इसलिये पूर्व में इस न्यायालय द्वारा इसके आसपास की भूमियों का मुआवजा 24,000/-प्रति बीघा की दर से निर्धारित किया गया है अतः उक्त सभी मामलों में रू. 24,000/-रु0 प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जाना उचित होगा। क्लेम में जो ग्राउन्ड की मांग की है उसके संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के॰पी॰मिश्रा का कथन है कि इससे पृथ्वीराज नगर योजना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम इस कथन से सहमत हैं।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिये भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी॰डी॰आर/91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास में 10,200/-रु प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था इसलिये जहाँ तक इनका पक्ष का संबंध है यह दर उचित है।

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनाएं, जयपुर

हमने इस संबंध में उप पंजियक एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण (प्रथम) ने भी अपने यू॰ओ॰नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा सन् 1987 की दर 6000/- रु0 प्रति बीघा दर्शाई है लेकिन सन् 1988-89 की दर से सूचित नहीं किया गया।

True copy

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इस क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रु0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के॰पी॰मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि कि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/-रु0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं।

...कारी ... योजनाएं जयपुर

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रु प्रति बीघा की दर से किया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

531

जहां तक पेड़-पौधों एवं अन्य स्ट्रेक्चर्स का प्रश्न है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनिकी रूप से अनुमोदित तखमीना अभी तक पेश नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में पेड़-पौधों एवं अन्य स्ट्रेक्चर्स के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनिकी एवं अनुमोदित तखमीना प्राप्त होने पर उस पर विचार कर नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जायेगा।

हम उक्त मामलों में भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/-रु प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजा का भुगतान लिखित रूप से अतिरिक्त मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 (1-ए) एवं 23 (2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी। जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ बताया गया है।

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित हैं एवं शहरी अधिनियम 1976 से प्रभावित हैं। लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि शहरी अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवादी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

ये अवार्ड आज दिनांक 17.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न- परिशिष्ट "ए"

भूमि अवाप्ति अधिकारी
भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

31/7/91

राज्य सरकार के पत्र क्र. F6(15)नविवि/87 दि. 31/7/91 द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। मुकदमा नम्बर 580/88 के ख.नं. 3412 पर मा. राज. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने से अवार्ड पर है इसी प्रकार मुकदमा नं. 625/88 के ख.नं. 178/313, 191/239, 182/246 एवं 182/245 पर भी मा. राज. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण उक्त ख.नं. का अवार्ड घोषित नहीं किया जा रहा है। शेष ख.नं. मुकदमा नं. 568/88 ख.नं. 30, 166, 167, 168, 169, 177, 179 मु.नं. 621/88 के ख.नं. 182/317 का अवार्ड पर स्थगन आदेश नहीं होने के कारण अवार्ड मौके पर उपस्थित घोषित किया गया एवं फाईल किया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

ग्राम-नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास - परिशिष्ट "ए"

क्र·सं·	मुकदमा नम्बर	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा बी·वि·	मुआवजा दर प्रति बीघा	भूमि का मुआवजा	सोलेशियम 30%	अतिरिक्त 12%	कुल मुआवजा
1·	2·	3·	4·	5·	6·	7·	8·	9·	10·
1·	568/88	जोधराज, दुल्हाराम,	30	21-13					
		कानाराम, कुशलराम	166	02-11					
		पिता गणेश हि·4/5	167	00-19					
		बराबर कादोश, बाबु लाल							
		रामजीलाल पिता छोटी-	168	01-10					
		लाल हि· 1/5, जाति कुमावत	169	00-15					
		सा· देह	177	04-00					
			179	11-11				364508	1704548/-
				42-19	24,000/-	1030800/-	309240/-	364594/-	1704634/-
								10609/	49609/-
2·	580/88	भूरा पुत्र हकमा, गोपाल, छीतू	34/2	1-05	24,000/-	30000/-	9000/-	10611/-	49,611/-
		मुंशा (मृतक) पुत्र बिरदा							
		हितधारी-भोगालाल,							
		सोयमल पत्नान हकमा,							
		छीतू पिता बिरदा							
		जाति माली सा·							
		स्वजकाने							

Ch no 1333307 23/11/93

Ch no 1333306 23/11/93

अवाप्ति अधिकारी

भूमि अवाप्ति अधिकारी

नगर ... योजनाएँ

जयपुर

30A copy

क्रमशः---2

- 33 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.
3.	625/88	श्रीमती मोहनी देवी पुत्री	178/313	04 - 01					
		श्री पोखरमल जाति	191/239	01 - 17					
		जाट सा० नवलगढ़ जिला	182/217	04 - 09					
		झुन्झुनू	182/245	04 - 00					
			182/246	02 - 05					
				16 - 12	24,000/-	398400/-	119520/-	~~140914~~ 140881/-	~~658834/-~~ 6,58801/-

Ch No 133309
23.11.93

नोट:-1. सोलेशियम 30प्रतिशत राशि की गणना मुआवजा राशि के साथ कॉलम नम्बर:8 पर की गयी है।

2. अतिरिक्त 12प्रतिशत राशि की गणना कॉलम नम्बर:9 पर दिनांक 7/7/88 से 17/6/91 तक की गई।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

True copy

7.7.88 से 6.7.90 2 yrs
7.7.90 से 6.6.91 11 months
11 days